

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-03/04/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न 09 ए०एन०एम० एवं 03 जी०एन०एम० संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,53,54,602/- (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख चौवन हजार छः सौ दो) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1017(1), दिनांक-30.11.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न 09 ए०एन०एम० एवं 03 जी०एन०एम० संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,53,54,602/- (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख चौवन हजार छः सौ दो) मात्र (अनुलग्नक-1 के अनुरूप) के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-105-एलोपैथी, उपशीर्ष-0012-प्रशिक्षण नर्स, विपत्र कोड-20-2210-05-105-0012 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित सस्थान के प्राचार्य/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।


(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/MCH-35-22/2025 के पृष्ठ-27/टि० पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,


(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7/MCH-35-22/2025-..... 43(7B) /स्वा0, पटना, दिनांक:- 23/09/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी प्राचार्य-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
A4/11/26

विभिन्न सरकारी ए०एन०एम०/जी०एन०एम० संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति/वजीफा के भुगतान हेतु आवंटित की जाने वाली राशि-

क्रम सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रूपये में)
1	ए०एन०एम० स्कूल, भोजपुर	16,00,000
2	ए०एन०एम० स्कूल, नवगछिया, भागलपुर	2,86,850
3	ए०एन०एम० स्कूल, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण	8,92,000
4	ए०एन०एम० स्कूल, बाढ़	20,00,000
5	ए०एन०एम० स्कूल, इस्लामपुर, नालन्दा	15,00,000
6	ए०एन०एम० स्कूल, सदर अरवल	10,12,981
7	ए०एन०एम० स्कूल, किशनगंज	5,00,000
8	ए०एन०एम० स्कूल, अरेराज, पूर्वी चम्पारण	8,74,531
9	ए०एन०एम० स्कूल, कटिहार	6,50,000
10	जी०एन०एम० स्कूल, सी०एच०सी०, राजापाकर, वैशाली	30,38,240
11	जी०एन०एम० स्कूल, महुली, जमुई	15,00,000
12	जी०एन०एम० स्कूल, एस०डी०एच०, महाराजगंज, सिवान	15,00,000
	कुल-	1,53,54,602

42 (78)
03/02/2026

(रूपये एक करोड़ तिरपन लाख चौवन हजार छः सौ दो) मात्र

सरकार के अपर सचिव
Alpam